

 राजस्थान राज-पत्र विशेषांक साधिकार प्रकाशित	Regd. No. JP/GPO/33 RAJASTHAN GAZETTE <i>Extraordinary</i> <i>Published by Authority</i>
	जुलाई 30, बुधवार, शाके 1923— जून 20, 2001 <i>Jyaishiha 30, Wednesday, Saka 1923— June 20, 2001</i>

माग 1(ख)**महत्वपूर्ण राजकारी आज्ञाये।****चिकित्सा (मुप-5) विभाग****मधिसूचनाये****जयपुर, जून 16, 2001**

संख्या प. 12(38) चि. 5/94-पार्ट-III:—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुष्प्रयोग निवारण) अधिनियम 1994 को धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त गतिविधियों का प्रयोग करते हुए एवं इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त आज्ञायां को अधिकारित करते हुए राज्य सरकार जिसी स्तर पर उपर्युक्त स्तर पर निम्नानुसार 2 समुचित प्राधिकारी नियुक्त करती है:—

जिला स्तर पर:**मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रधिकारी****सम्मुख जिले के लिये।****उपर्युक्त स्तर पर:**

1. मुख्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रधिकारी (प.क.) —
 2. मुख्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रधिकारी

जिला मुख्यालय पर नियत उपर्युक्त के लिए
 संबंधित उप खण्ड के लिए (जिला मुख्यालय पर नियत
 उप खण्ड के प्रतिरिवत)

जयपुर, जून 16, 2001।

संख्या प. 12 (38) चि. 5/94-पार्ट-III:—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुष्प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1994 की धारा 17 को उपधारा (5) के द्वारा प्रदत्त शिवियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार समस्त राज्यिक प्राधिकारियों को उनके कृत्यों के निवृत्ति में सहायता करने एवं सहायता देने के लिये प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नानुसार समिति होगी:—

- 1.—वरिष्ठतम वरिष्ठ स्वीकोरण विशेषज्ञ
- 2.—वरिष्ठतम वरिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ
- 3.—मनुवृत्तिकी विज्ञानी (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
- 4.—तीन विकायात सामाजिक कार्यकारी, जिनमें से कम से कम एक महिला समाजन के प्रतिनिधि में गैरहोगा (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)
- 5.—जिला सूचना एवं प्रसार प्रधिकारी
- 6.—विधि विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोनीत)

नोट:—

1. सलाहकार समिति में कम से कम एक वा दो पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का प्रधान होगा।
2. सलाहकार समिति में कम से 1, 2 एवं 5 के अंतरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
3. सलाहकार समिति की किन्हीं दो वैठकों के मध्य 60 दिवस से प्रधिक का अन्तराल नहीं होगा।

प्राप्ति से,**प्रो. जान,****उप मासन सचिव।**

जयपुर, जून 16, 2001

संख्या प. 12(38) चि. 5/04-पोट—III:—प्रत्य पूर्व निदान एकमें (विनियमन और उल्लंघन नियारण) अधिनियम 1994 की मात्रा 17 की उल्लंघन (5) के द्वारा बदला शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार समस्त समुचित प्राधिकारियों द्वारा उनके कृत्यों के तिबंधन में सहायता करने एवं सलाह देने के लिए प्रत्येक उपर्युक्त सेवा के लिए एक सलाहकार समिति का गठन करती है, जिसमें विस्तृत सदस्य होंगे :—

१.—रिठडतम कनिष्ठ स्वीकरण विशेषज्ञ

२.—बिठडतम कनिष्ठ शिशुरोग विशेषज्ञ

३.—मनुवंशिको विज्ञान (राज्य सरकार द्वारा नवोन्मत्त)

४.—तीन विभाजन सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से कम से कम एक महिल संगठन के प्रतिनिधि में से होगा (राज्य सरकार द्वारा मनोन्मत्त)

५.—जिता सुविधा, एवं प्रतार प्राधिकारी प्रथमा उसका प्रतिनिधि

६.—वित्त विशेषज्ञ (राज्य सरकार द्वारा मनोन्मत्त)

नोट :—

१. सलाहकार समिति में कम से १ व २ पर अंकित सदस्यों में से जो भी वरिष्ठ होगा, वह सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा।
२. सलाहकार समिति में कम से १, २ एवं ५ के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल ३ वर्ष का रहेगा।
३. सलाहकार समिति ने हिन्दूओं वा बैठकों के बाद ६ दिवान से अधिन का अन्तराल नहीं होगा।

प्राप्ता है,
पी. साम,
उप शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।